प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त को हुई 07 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांक:30.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 30.09.2021 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर 07 वर्ष कठोर कारावास एवम् 20,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना सदरपुर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 220/15 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम राजकुमार पुत्र मनोहर लाल यादव नि0 खरसट मजरा किशुनपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर में सदरपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 30.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-16 (पाक्सो एक्ट) सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 363 भा.द.वि में 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड, धारा 366 भा.द.वि में 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड, धारा 376 भा.द.वि में 07 वर्ष कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास व 5,000/-रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।